

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, डी.बी.एस.(पी.जी) कालेज, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय . प्राचार्य, डी.बी.एस.(पी.जी) कालेज, देहरादून के माह 01/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार (ले.प.) खुशीराम, (व.ले.प.) व सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.2017 से 23.08.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2016 से 29.01.2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: महा वद्यालय रिस्पना नदी के पास मान सिंह वाला (करनपुर) क्षेत्र में हिमालय एवं शवालक पहाडियों दून वैली में अवस्थित है।  
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
लागू नहीं								

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
2015-16	UGC XII plan grant UGC SC/ST/OBC grant	शून्य	1320000 1900000	शून्य	1320000 1012385
2016-17	Golder Jubiter	शून्य	1000000	शून्य	1000000
2017- अब तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन छात्रों में शुल्क से प्राप्त धनराश से निर्मित Maintenance fund द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल), 2. सचिव, प्रबन्ध समिति, डी.बी.एस. (पी.जी.) कालेज देहरादून 3. प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कालेज, देहरादून 4. प्रवक्ता वर्ग 5. समूह (ग) वर्ग कर्मचारी 6. समूह (घ) वर्ग कर्मचारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विध: लेखापरीक्षा में प्राचार्य, डी.बी.एस.(पी.जी) कालेज, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, डी.बी.एस.(पी.जी) कालेज, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 व 05/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। का वस्तुतः विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- काशन मनी के तहत उपलब्ध कोष से रू. 18.18 लाख का अनियमन व्यय।

कार्यालय डी.बी.एस. (पी.जी.) कालेज देहरादून की काशन मनी से संबंधित खाते सं. 1950536292 (सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया) तथा संगत अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। इस संबंध में प्रभावी गार्डलाईन्स सं. 5125/15-11-86- प4 (45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के मुख्य अंश में तथ्य का उल्लेख पाया गया कि यदि कहीं कारणों से कसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत 03 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत, कसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 में रू. 5.00 लाख तथा वर्ष 2015-16 में रू. 13.18 लाख अन्य प्रयोजन के लिये आहरित किया गया जिसके समर्थन में वर्ष 2010 के उच्चाधिकारी का अनुमति पत्र वषयक अभिलेख प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वगत 05 वर्षों में छात्रों को वापस की गयी काशन मनी नगण्य थी। आगे जांच में पाया गया कि काशन मनी के वापस के वापसी के संबंध में छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिये महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचना प्रकाशित नहीं की जा रही थी। महाविद्यालय के 05 वर्षों की काशन मनी की स्थिति अनुलग्नक में दर्ज है।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रॉस्पेक्टस में इसकी सूचना कर दी जाती है। कि अपने काशन मनी का क्लेम करें।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया क्योंकि वर्ष दर वर्ष छात्रों द्वारा क्लेम की जाने वाली प्रतिभूति राशि से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या नगण्य थी तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी थी कि छात्रों को समय-समय पर अवगत कराने के लिये सूचना प्रकाशित करें। साथ ही जब-जब धन आहरित किया गया प्रत्येक अवसर पर नियमतः निदेशक उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त किया जाना था, जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी से संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नककॉशनेड डनी कल ववरण

लेखलडरीकुषल की तल थ तक अवशेष धनरल श- रू. 28,10,324.07

अव ध	डुरलडुतल	वलडुसुी	आहरलत धनरल श
2012-13	278000.00	760.00	
2013-14	274220.00	978.00	
2014-15	231700.00	23994.00	500000.00
2015-16	207580.00	34820.00	1318380.00
2016-17	185440.00	41877.00	

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
169/2015-16	-----	01,02,03 व 04	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
169/2015-16	भाग-दो(ब) 01,02,03,04 STAN-01	प्रस्तुत	भाग-दो(ब) प्रस्तर- 1,2,3, एवं STAN-1 निरस्त कर दिये गये हैं। प्रस्तर-4- छात्रनिध से अन्य प्रयोजन में व्यय करने हेतु शासनादेश के अनुसार निदेशक उच्च शिक्षा से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। संबंधित प्रकरण के समर्थित साक्षम इकाई द्वारा लेखा परीक्षा में Diversion के पूर्व के आदेश प्रस्तुत कया गया। अतः प्रस्तर निरस्त करने योग्य नहीं है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, डी.बी.एस.(पी.जी) कालेज, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवध
(i)	श्री ओ.पी. कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य	03.01.2016 से लेखापरीक्षा तिथि तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, डी.बी.एस.(पी.जी) कालेज, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा L-216 द्वितीय तल महालेखाकार भवन निकट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र